(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1311—अपील/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29.01.14 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 409/निगरानी/2007—08.

.....

1—रामरती पति स्व0 छोटेलाल
2—बृजेन्द्र तनय स्व0 छोटेलाल
3—ऋषिदेव यादव तनय स्व0 छोटेलाल
सभी निवासी ग्राम बरयाटोला तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

——— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1—सुधा देवी पत्नी स्व0 राममणि यादव
निवासी ग्राम बरयाटोला तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

——— प्रत्यार्थी

.....

श्री प्रभात सिंह, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री एम0 पी0 यादव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

आदेश

(आज दिनांक 01-06-18 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश 29.01.14 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यार्थी के पति द्वारा ग्राम बरायटोला की आराजी कमांक 424/2 रकवा 0.59 एकड़ में से मात्र 0.12 एकड़ की विकी पंजीकृत विकयपत्र द्वारा किया गया जिसमें नामांतरण पंजी वर्ष 1997–98 की प्रविष्टि कमांक 3 द्वारा 0. 12 एकड़ के वजाय 0.55 एकड़ की नामांतरण आदेश दिनांक 22.10.98 द्वारा किया गया इसकी जानकारी होने पर प्रत्यर्थी के पति की मृत्यु होने के वाद दिनांक 17.10.02 को हुई। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 28.10.02 को हुई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन दिनांक 13.10.07 को स्वीकार किया जिससे दुखित होकर अपीलार्थी ने अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 149/अ–6अ/2007–08 दर्ज होकर दिनांक 13.12.07 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 409/निगरानी/2007–08 पर दर्ज होकर दिनांक 29.1.14 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि अनावेदिका के पति राममणि की मृत्यु दिनांक 4.7.02 को हुई यानी नामांतरण होने के बाद 4 साल जिन्दा रहा पंचायत में लिखित सहमति के आधार पर नामंतरण हुआ पंचायत की कार्यवाही के दौरान विधिवत इस्तहार जारी किया गया। फिर भी ऐसे आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थी ने अपने पति की मृत्यु के वाद अपील की जो समय वाधित अपील थी वह अपील खारिज किये जाने योग्य थी लेकिन अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे।

4– प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि प्रत्यर्थी के पति स्व0 राममणि यादव द्वारा अपने स्वत्व आधिपत्य की आराजी कमांक 424/2 का अंश रकवा 0. 12 एकड को अपीलार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से विकी किया गया था। प्रत्यर्थी सुधादेवी अशिक्षित अनपढ़ तथा ग्रामीण महिला है और उसके पास कोई पुत्र–पुत्री संतान नहीं है पति की मृत्यु पश्चात अपीलार्थी गण चोरी छिपे तरीके से प्रस्ताव कमांक –3

निर्णय दिनांक 22.10.98 ग्राम पंचायत क्षेत्र हिनौता पंजी कमांक–3 के माध्यम से चोरी छिपे तरीके से 0.12 एकड के बजाय 0.55 एकड़ जीमन का नामंतरण फर्जी तरीके से अपने नाम प्रमाणित करा लिया। नामांतरण के आदेश की जानकारी प्रत्यर्थी को हुई तो उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के न्यायालय में ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा दिनांक 13.10.07 को धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया, जो विधि प्रकिया से उचित है। प्रत्यर्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी की अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत की गई। लेखी बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी के पति स्व0 राममणि यादव द्वारा अपने स्वत्व आधिपत्य की आराजी कमांक 424/2 का अंश रकवा 0.12 एकड को अपीलार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से विकी किया गया था। प्रत्यर्थी सुधादेवी अशिक्षित अनपढ़ तथा ग्रामीण महिला है और उसके पास कोई पुत्र–पुत्री संतान नहीं है पति की मृत्यु पश्चात अपीलार्थी गण चोरी छिपे तरीके से प्रस्ताव कमांक –3 निर्णय दिनांक 22.10.98 ग्राम पंचायत क्षेत्र हिनौता पंजी कमांक–3 के माध्यम से चोरी छिपे तरीके से 0.12 एकड के बजाय 0.55 एकड़ जीमन का नामंतरण फर्जी तरीके से अपने नाम प्रमाणित करा लिया। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान का अभिलेख देखने से स्पष्ट यह भी है कि उसमें संलग्न रजिस्टर्ड विकय पत्र की छाया प्रति जो पृष्ठ कमांक 16 पर संलग्न है उसमें विकी रकवा 0.12 ही दर्शाया गया है, फिर ग्राम पंचायत द्वारा 0.55 एकड़ के नामांतरण को कैसे प्रमाणित कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यार्थी को जानकारी हुई तो उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 13.10.07 को आवेदन धारा–5 का स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई और जिसे अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा भी स्वीकार किया गया है एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी धारा'5 के आदेश को मान्य किया गया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 409/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 29.01.14 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0–एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर